मै0 डालमिया चीनी मिल्स निगोही, डिस्टलरी इकाई (डालमिया भारत शुगर एवं इण्डस्ट्रीज लिमिटेड की ईकाई) ग्राम कुइया, पोस्ट – अरेली, तहसील तिलहर, जिला शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में 60 कि0ली0/दिन शीरा पर आधारित आसवनी (डिस्टलरी) इकाई एंव 2.5 मेगावाट सह–उत्पादन विधुत संयंत्र की स्थापना हेतु दिनॉक 20.02.2018 कों सम्पन्न लोक सुनवाई के कार्यवृत्त :–

मै0 डालमिया चीनी मिल्स निगोही, डिस्टलरी इकाई (डालमिया भारत शुगर एवं इण्डस्ट्रीज लिमिटेड की ईकाई) ग्राम कुइया, पोस्ट – अरेली, तहसील तिलहर, जिला शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में 60 कि0ली0/दिन शीरा पर आधारित आसवनी (डिस्टलरी) इकाई एंव 2.5 मेगावाट सह–उत्पादन विधुत संयंत्र स्थापित किये जाने हेतु प्रस्तावित स्थल पर पर्यावरणीय दृष्टिकोण से राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

उक्त उद्योग की स्थापना की दृष्टि से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु भारत सरकार के पर्यावरण वन एवं जल वायु परिवर्तन मंत्रालय में आवेदन किया गया है। पर्यावरण वन एवं जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी लोक सुनवाई अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 में निर्धारित प्रकिया के अन्तर्गत लोक सुनवाई हेतु आम सूचना उक्त प्रस्तावित उद्योग के सम्बन्ध में विभिन्न दैनिक समाचार पत्रों कमशः दैनिक जागरण में (हिन्दी में) दिनांक 18.01.2018 एवं दिनांक 19.01.2018 एवं टाइम्स ऑफ इण्डिया (अंग्रेजी) में दिनांक 19.01.18 के संस्करण में आम जनता से पर्यावरण सम्बन्धी आक्षेप/सुझाव/आपत्ति आदि प्रकाशन की तिथि से 30 दिन कें अन्दर पर्यावरण सम्बन्धी आक्षेप/सुझाव/ आपत्ति आदि प्रकाशन की तिथि से 30 दिन कें अन्दर दर्ज कराने हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित करायी गयी थी तथा लोक सुनवाई दिनांक 20.02.2018 को किये जाने की तिथि जिलाधिकारी महोदय, शाहजहॉपुर द्वारा नियत की गयी थी, जो कि संलग्नक–1, 2 एवं 3 पर संलग्न है।

उक्त परियोजना की स्थापना सम्बन्धी प्रस्ताव/निष्पादन सार, जिलाधिकारी शाहजहॉपुर कार्यालय, जिला उद्योग एवं प्रोत्साहन केन्द्र, शाहजहॉपुर, क्षेत्रीय कार्यालय उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बरेली, पर्यावरण निदेशालय विनीत खण्ड गोमतीनगर लखनऊ, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्यालय, टी0सी0–12 वी, विभूति खण्ड गोमतीनगर, लखनऊ के कार्यालय में जन सामान्य के अवलोकनार्थ संरक्षित रखाये गये थे। लोक सुनवाई से पूर्व उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में दिनांक 09.02.18 को क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि एवं आम जनता की जो आपत्ति प्राप्त हुई है, जिसकी मूल प्रति संलग्न है। लोक सुनवाई हेतु गठित पैनल के सदस्यो के अतिरिक्त प्रस्तावित उद्योग के आस–पास क्षेत्र के जन सामान्य भी उपस्थित थे, जिसकी उपस्थिति संलग्न है (संलग्नक–4)

लोक सुनवाई हेतु निर्धारित स्थल पर लोक सुनवाई की प्रकिया में अध्यक्ष के रूप में मंचासीन अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), शाहजहॉपुर को अनुमति से निर्धारित समयानुसार प्रारम्भ की गयी।

A. D. M. (F&R)
Shahjahanpur

प्रस्तावित उद्योग के प्रतिनिधि द्वारा सर्व प्रथम लोक सुनवाई हेतु उपस्थित पैनल के सदस्यों एवं आस–पास के जन सामान्य का स्वागत किया गया।

उक्त प्रस्ताव पर पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं एवं परियोजना पर विस्तृत प्रकाश डालने हेतु क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उद्योग के पर्यावरण परामर्शी को आमन्त्रित किया गया।

उद्योग के पर्यावरण परामर्शी श्री दिनेश सिंह द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित उद्योग शीरा आधारित डिस्टलरी कें उत्पादन प्रकिया के बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा किया, उन्होने अवगत कराया कि उद्योग में कच्चे माल के रुप में शीरा 289 एम0टी0/दिन, कास्टिक 100 कि0ग्रा0 प्रतिदिन, पोषक तत्व (150 कि0ग्रा0 प्रतिदिन), एनजाइम्स 3 कि0ग्रा0 प्रतिदिन, एंटीफोम ऐजेंट 3 कि0ग्रा0 प्रतिदिन, तथा यीस्ट (स्वंय द्वारा उत्पादन) का प्रयोग कर 60 कि0ली0 प्रतिदिन क्षमता पर इथनोल/इ0एन0ए0/इम्प्योर अलकोहल का उत्पाद आसवनी प्रकिया द्वारा किया जाएगा । इसके अतिरिक्त प्रस्तावित उद्योग में 2.5 मेगावाट विधुत उत्पादन किया जाएगा। उद्योग में कुल 530 कि0ली0 प्रतिदिन जल की आवश्यकता होगी। उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु उद्योग में पूर्ण उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयत्रं स्थापित किया जाएगा। पर्यावरण स्वीकृति की स्थिति कें दिनॉक एंव परियोजना किस स्टेज पर है । यह भी अवगत कराया गया कि उधोग में 24 टन /घंटा क्षमता का 01 बायलर स्थापित किया जायेगा, जिसमें ईधन के रुप में कन्सन्ट्रेटेड स्पेन्ट वॉश (155–200 एम0टी0/प्रतिदिन) खोई या कोयला या बायोमास (125 एम0 टी0 प्रतिदिन या 50–60 एम0 टी0 प्रतिदिन या 100–110 एम0टी0प्रतिदिन) प्रयोग किया जाना प्रस्तावित है । बायलर से उत्पन्न वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु ई0एस0पी0 एंव 65 मी0 ऊंची चिमनी स्थापित की जाएगी। उद्योग शून्य उत्प्रवाह निस्तारण पद्धति पर आधारित है। डी0जी0 सेट (1000 केवीए) को स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, जिसके संचालन से उत्पन्न वायु/ ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रण हेतु एकास्टिक इन्क्लोजर एवं उपयुक्त ऊँचाई की चिमनी स्थापित की जाएगी।

पर्यावरण परामर्शी द्वारा परियोजना की आर्थिक आवश्यकताओं पर प्रकाश डालते हुए अवगत कराया कि परियोजना से आस– पास के क्षेत्रो में रोजगार के अवसर सृजित होगे तथा लोगो की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा एंव राज्य के लिए राजस्व वसूली में वृद्धि होगी जो जनपद के आर्थिक विकास के लिये आवश्यक है। पर्यावरणीय परामर्शी द्वारा ने अवगत कराया कि पर्यावरण प्रबन्धन योजना के अंतर्गत होने वाल गतिविधियों के दौरान निम्नलिखित योजना प्रस्तावित है । परिसर के अन्दर हरित पट्टिका का विकास किया जाएगा और इसे आगे भी बनाये रखा जाएगा। निर्धारित मानकों के भीतर प्रदूषक बनाये रखने के लिये परिवेशी वायु गुणवत्ता की निगरानी नियमित रुप से की जाएगी। ध्वनि स्तर को कम करने के लिये नियमित अंतराल में मशीनो का रख–रखाव, आयलिंग एंव ग्रीसिगं की जायेगी । उच्च ध्वनि स्तर के सम्पर्क में रहने वाले श्रमिको को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जैसे ईयर मफ्स एंव ईयर प्लग प्रदान किये जायेगे। स्पेन्ट वॉश को एम0ई0ई0 में कन्संट्रेट किया जाएगा और सहायक ईधन के साथ मिश्रित करके इन्सीनरेशन बायलर में जला दिया जायेगा । प्रोसेस कन्डेन्सेट को निष्क्रिय किया जायेगा और सी0पी0यू0/आर0ओ0 मे पुर्ननवीनीकरण करके किण्वन प्रकिया में एंव कूलिंग टावर में उपयोग किया जायेगा। ऐश को पोषक पदार्थ

की समृद्ध सामग्री के कारण खाद में उपयोग किया जाएगा या उर्वरक निर्माताओ को बेच दिया जायेगा एंव फिल्टर्ड स्लज को प्रेस मड के साथ मिलाकर जैविक खाद बनाने के लिये उपयोग किया जाऐगा। ध्वनि स्तर को कम करने हेतु एवं स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराये जाने हेतु उद्योग में 33 प्रतिशत (1.45 हेक्टेयर) ग्रीन बेल्ट विकसित किया जाएगा। अच्छे परिचालन प्रभावो व प्रबन्धन नियंत्रण उपायो द्वारा दुर्गन्ध को मुख्य रुप से नियंत्रित किया जाएगा। उद्योग स्थापना हेतु जारी टर्म्स ऑफ रिफरेन्सेज में आरोपित शर्तो का अक्षरशः अनुपालन किया जाएगा।

उद्योग के पर्यावरण परामर्शी द्वारा अवगत कराया गया कि पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण हेतु समुचित व्यवस्था परियोजना में समावेशित है। पर्यावरण के सभी घटकों जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण इत्यादि का ऑकलन करते हुये सम्बन्धित प्रदूषण के नियंत्रण हेतु समुचित प्रस्ताव पर्यावरण अधिप्रभाव मूल्याकंन आख्या (इन्वायरमेन्ट इम्पैक्ट असेसमेन्ट रिपोर्ट) में दिये गये है, इस प्रकार पर्यावरण अधिप्रभाव मूल्याकंन रिपोर्ट के अनुसार परिवेशीय वातावरण में कोई दुष्प्रभाव पडने की सम्भावना नही है।

क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बरेली द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि एवं क्षेत्रीय जनता से परियोजना के सम्बन्ध में आवश्यक सुझावों हेतु आग्रह किया गया। लोक सुनवाई स्थल पर उपस्थित क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि एवं जन सामान्य तथा किसानों द्वारा पूछे गये प्रश्नों एवं सम्बन्धित द्वारा उक्त प्रश्नों का प्रस्तुत उत्तर तालिका में निम्नवत् है–

क0सं0	प्रश्नकर्ता का नाम व पता	प्रश्न	उत्तर
1	श्री सतेन्द्र ग्राम ढकिया तिवारी, शाहजहॉपुर	मै0 डालमियॉ चीनी मिल्स वर्ष 2007 में स्थापित हुई, इससे सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। शिक्षा में सहायता मिली, अब डालमियॉ डिस्टिलरी प्रस्तावित कर रही है, जिसके सम्बन्ध में जानना चाहता हूँ कि जो प्लान्ट लगने जा रहा है, उसमें रोजगार कितना मिलेगा एवं सामाजिक सुधार क्या होगा।	उद्योग के श्री दिनेश सिंह, पर्यावरण परामर्शी द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित प्लान्ट में 60 लोगों को डायरेक्टली रोजगार मिलेगा और 200 लोगो को इनडायरेक्टली रोजगार मिलेगा। ग्राम विकास के लिये कम्पनी ने 3.25 करोड रूपये सामाजिक प्रतिबद्धता के लिये निर्धारित किये है, जिसमें पूर्णतया ग्राम विकास परियोजना ही शामिल होगी।
2.	श्री सुखविन्दर सिंह, ग्राम रामपुर शाहजहॉपुर	डालमियां परिवार को नई डिस्टलरी लगाने के लिए धन्यवाद एंव जानना चाहता हूँ कि जो चिमनी शुगर मिल में	पर्यावरण परामर्शी द्वारा बताया गया कि डिस्टलरी इकाई एकदम अलग इकाई है। इसके साथ 2.5 मेगावाट का पावर प्लांट लगेगा। इसके लिए अलग से चिमनी

S. D. M. (F/R)
Shahjahanpur

		लगी है, डिस्टलरी के लिये भी वही चिमनी प्रयोग मे लाऐंगे या अलग से लगेगी एंव इसका पर्यावरण पर कोई दुष्प्रभाव तो नही पडेगा ?	लगेगी। ये बॉयलर इन्सीनरेशन बॉयलर है । डिस्टलरी से निकलने वाले स्पेन्ट वॉश को एम0ई0ई0 में कन्संट्रेट करेंगे और अन्य ईधन के साथ मिलाकर पूरी तरह से इस बायलर में जला दिया जाएगा। उत्सर्जन सी0पी0सी0बी0 मानको के अनुसार रहेगा एंव निरंतर निगरानी के लिये आनलाइन मानिटिरिंग सिस्टम लगाया जाएगा जो कि एस0पी0सी0बी0 / सी0पी0सी0बी0 सर्वर के साथ जुडा होगा। जल वायु प्रदूषणसंयंत्र की निगरानी बेर्ड मुख्यालय लखनऊ एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली से भी की जायेगी।
3.	श्री अंग्रेज सिंह, ग्राम खिरिया, जिला शाहजहॉपुर	उद्योग द्वारा जो चिमनी बनेगी उससे राख तो नही गिरेगी।	उद्योग के पर्यावरण परामर्शी द्वारा अवगत कराया गया कि जो चिमनी लगेगी, उसके साथ ई0एस0पी0 स्थापित होगा एवं यह कोई भी प्रदूषित प्रवाह बाहर नही निकलने देगा एवं मानको के अन्दर ही उत्सर्जन स्तर रहेगा, जिसकी निरन्तर निगरानी के लिये ऑनलाइन मॉनीटरिंग व्यवस्था लगाई जायेगी।
4.	श्री ह्रदेष ग्राम टीकरी, जिला शाहजहॉपुर।	उद्योग द्वारा जो डिस्टिलरी प्लान्ट लगाया जायेगा उससे ग्राम एवं क्षेत्र का क्या विकास होगा।	उद्योग के पर्यावरण परामर्शी द्वारा अवगत कराया गया कि पहला विकास रोजगार में होगा, दूसरा ई0एस0पी0 लागत 05 प्रतिशत जो कि 325 लाख है, कम्पनी 05 सालों के अन्दर खर्च करेगी एवं ग्राम के लोगों की जो आवश्यकतायें है, उनको समझा जायेगा और सम्बन्धित गतिविधियॉ कराई जाएंगी जैसे स्किल डेवलेपमेन्ट, स्कूल एंव पंचायत में आवश्यकतानुसार कार्य एंव इसके अतिरिक्त इनडाइरेक्टली

			लोगो को काफी रोजगार मिलेगा । इन्डाईरेक्ट रोजगार में ट्रक ड्राईवर, ट्रैक्टर संचालक इत्यादि आते है ।
5.	श्री सन्तराम वर्मा पूर्व ब्लाक प्रमुख, ग्राम गिरगिचा, निगोही जिला शाहजहॉपुर	अपनी लिखित आपत्ति अध्यक्ष महोदय को प्रस्तुत करते हुये प्रश्न किया कि उद्योग की वर्तमान चीनी इकाई से प्रदूषणकारी समस्या है। आसवानी उद्योग की स्थापना से उद्योग के समीप स्थित ग्राम गिरगिचा, ग्राम बझेडा–बझेडी, ग्राम जहानपुर गोटिया एवं अन्य ग्रामों में पर्यावरण दूषित होगा। प्रस्तावित डिस्टिलरी प्लान्ट की स्थापना का घोर विरोध दर्ज कराते है। उपस्थित हम सभी क्षेत्रवासी नागरिक उक्त डिस्टिलरी की स्थापना का पूरे समर्थन से घोर विरोध करते है।	उद्योग के पर्यावरण परामर्शी द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित डिस्टलरी एथनाल उत्पादन करेगी। इसके स्पेन्ट वॉश को पूरी तरह से जला दिया जाएगा। डिस्टलरी शून्य उत्प्रवाह निस्तारण पर आधारित है एंव प्लांट परिसर से काई भी उत्प्रवाह बाहर नही जाएगा। बायलर के साथ ई0एस0पी0 लगाया जाएगा एंव निरंतर निगरानी प्रणाली भी लगाई जाएगी जो कि निर्धारित मापदंडो की निगरानी करेगा। उद्योग में अत्याधुनिक जल/वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थायें स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। जल/वायु प्रदूषण की सम्भावना नगण्य है।

लोक सुनवाई में उपस्थित श्री महेश चन्द्र द्विवेदी ग्राम पराझरसा जिला शाहजहॉपुर डिस्टलरी शून्य उत्प्रवाह निस्तारण पर आधारित है एवं कोई भी प्रदूषण नही होगा। इसकी स्थापना के पश्चात ग्राम विकास भी निश्चित है। मै इसका समर्थन करता हूँ।

लोक सुनवाई में उपस्थित श्री सन्तराम वर्मा, ग्राम गिरगिचा, श्री शिवशरन लाल एडवोकेट निगोही, ग्राम प्रधान ककरौआ एवं अन्य, श्री रामानन्दन एवं अन्य ग्राम रघवपुरखुर्द निगोही शाहजहॉपुर, श्री रामगोपाल मिश्रा एवं अन्य निवासीगण ग्राम जहानपुर, शाहजहॉपुर, श्री मुनीश्वर दयाल तिवारी एवं अन्य निवासीगण कजरीनूरपुर तथा श्री शिवपाल सिंह एवं अन्य निवासीगण ग्राम बुद्धरिना पोस्ट अरेली द्वारा लिखित आपत्तियॉ दी गयी, जो मूल रूप में संलग्न है।

लोक सुनवाई में उपस्थित श्री उघनपाल ग्राम प्रधान बझेडा–बझेडी, निगोही शाहजहॉपुर, श्री राजेन्द्र सिंह ग्राम ढकिया तिवारी, श्री हृदयेश ग्राम टिकरी, श्री विमलपाल, ग्राम परझरसा द्वारा परियोजना की स्थापना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु परियोजना के पक्ष में लिखित रूप में सुझाव दिया गया, जो कि संलग्न है।

A. D. M (F&C)
Shahjahanpur

लोक सुनवाई की अध्यक्षता कर रहे अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) महोदय द्वारा उद्योग के विरूद्ध प्रदूषण के सम्बन्ध में प्राप्त आपत्तियों को निस्तारित करते हुये अवगत कराया गया कि प्राप्त आपत्तियॉ बलहीन एवं निराधार है। आपत्तियों में कोई तर्क युक्त साक्ष्य व संज्ञान नही है। अतः प्राप्त आपत्तियॉ निरस्त की जाती है। चीनी मिल के सम्बन्ध में उठाये गये प्रश्न के सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय द्वारा कहा गया कि यह वर्तमान विषय से पृथक प्रकरण है। परियोजना द्वारा प्रदूषण नियंत्रण हेतु अत्याधुनिक मशीनों की व्यवस्था की जायेगी। उद्योग से प्रदूषण की सम्भावनाये नगण्य होगी।

अध्यक्ष महोदय के आश्वासन के उपरान्त उपस्थित जन सामान्य एवं जन प्रतिनिधियों द्वारा परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकति प्रदान किये जाने तथा परियोजना की स्थापना का पुरजोर समर्थन किया गया।

क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जनसामान्य से सुझाव/आपत्तियों हेतु पुनः अनुरोध किया गया। साथ ही परियोजना की स्थापना के पक्ष में जन सामान्य एवं जन प्रतिनिधियों से समर्थन/विरोध हेतु कहा गया। उपस्थित अधिकतम जन सामान्य द्वारा परियोजना की स्थापना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का सर्व सम्मति समर्थन किया गया।

अन्त में क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बरेली द्वारा अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) शाहजहॉपुर एवं उपस्थित जन समूह के प्रति आभार एवं धन्यवाद प्रकट करते हुये अध्यक्ष महोदय की अनुमति से लोक सुनवाई का समापन किये जाने का अनुरोध किया गया।

अध्यक्ष महोदय एवं लोक सुनवाई में उपस्थित स्थानीय जनसामान्य एवं जन प्रतिनिधियों की सर्वसम्मति से परियोजना की स्थापना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति एवं स्थापना हेतु समर्थन करते हुये लोक सुनवाई की प्रकिया के समापन की उद्घोषणा की गयी।

क्षेत्रीय अधिकारी
उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
बरेली

ए० के० चौधरी
क्षेत्रीय अधिकारी
उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
बरेली

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
शाहजहॉपुर

A. D. M. (Fin.)
Shahjahanpur